प्रेषक,

बाबू प्रसाद ,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–5,
कानपुर देहात।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

महोदय,

महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश महोदय के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में स्थित 120 फलदार अमरूद के पेडों की नीलामी प्रकिया सम्पन्न की जानी है। वित्तीय वर्ष–2017–18 के लिए उक्त फलदार अमरूद के पेडों की नीलामी प्रकिया के माध्यम से ठेके पर उठायी गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त फलदार अमरूद के पेडों का आवंटन नीलामी प्रकिया के आधार पर पुनः किया जाना है।

अतः 120 फलदार अमरूद के पेडों का आवंटन नीलामी प्रकिया के आधार पर किया जाना है। जनपद न्यायाधीश महोदय के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में स्थित 120 फलदार अमरूद के पेडों की निविदा की शर्ते एवं नियम व प्रेस विज्ञप्ति प्रार्थना पत्र के साथ महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक आदेशार्थ संलग्न है।

सादर।

दिनांक–13.03.2018

भवदीय

(बाबू प्रसाद), 13-3-18
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–5,
कानपुर देहात।

Permitted
13/3/18

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर देहात के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर माती कानपुर देहात में स्थित 120 पेड फलदार अमरूद की नीलामी कार्यवाही दिनांक–28.03.18 को सायं काल–04.00 बजें दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में सम्पन्न होगी। उपरोक्त पेडों की नीलामी की संविदा में उपयुक्त पात्र व्यक्ति नियमानुसार भाग ले सकते है। वे नीलामी की शर्ते केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कार्यालय अथवा नजारत के सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजें से 05.00 बजें तक अवलोकित कर सकते हैं।

इसके साथ की नीलामी की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय कानपुर देहात के वेबसाइट– eCourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से

12.3.18

कृते जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय /आवासीय परिसर में स्थित 120 पेड फलदार अमरूद के नीलामी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दिनांक–28.03.18 को समय 04.00 बजें दीवानी न्यायालय कानपुर देहात के केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी, नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रकिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्ते व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरूद की बोली में सम्मिलित होने से पहले धरोहर धनराशि में रू0–10,000/– नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।
2. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो।
3. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि दो दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी बिना कोई कारण बताये सींगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।
7. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरूद के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.19 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा पेड अमरूद का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–13.03.18 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक–13.03.18

(बाबू प्रसाद), 13.3.18
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–5,
कानपुर देहात।